राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1020/2017/जयपुर.

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जोन–प्रथम, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स एरन कॉपर प्रा0 लिमिटेड,
एफ–728, रोड़ नं0 9–एफ–2, वी.के.आई.ए., जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री विक्रम गोगरा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 17/05/2018

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 334/अपील्स–III/आरवीएटी/जयपुर/2015–16 में पारित किये गये आदेश दिनांक 02.02.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, संभाग–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2012–13 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 26, 55, 61 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 17.02.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 17.02.2016 को आदेश पारित किया जाकर यह अभियोग बनाया गया कि व्यवहारी द्वारा 'सी' फॉर्म एवं 'ई' फॉर्म के जरिये रूपये 4.93 करोड़ की खरीदी की गयी है परन्तु वार्षिक वैट रिटर्न 10ए में रूपये 2.23 करोड़ की ही खरीद बताई गई अतः इस आधार पर रूपये 2.61 करोड़ की खरीद कम दर्शाना मानते हुए, जिसमें से 61 लाख की खरीद मशीनरी की मानते हुए अवशेष राशि रूपये 2.08 करोड़ पर कर, ब्याज तथा शास्ति आरोपित की गई। उस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार किये जाने के विरूद्ध यह अपील राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश को अविधिक बताया परन्तु अविधिक होने का कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया बल्कि कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का पठन करते हुए केवल यह बताया गया कि उनके द्वारा रूपये 2.08 करोड़ की खरीद प्रस्तुत वैट रिटर्न में नहीं दशाई गई थी।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जानबूझकर बिना उनके जवाब की जांच किये आदेश पारित किया गया है जो व्यवहारी को परेशान मात्र करने के लिये किया गया है। उन्होंने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जवाब में यह स्पष्ट बताया गया था कि उनके द्वारा की गई खरीद उनकी बहियात में तथा ऑडिट रिपोर्ट में भी दर्ज है एवं किसी भी तरह के माल की खरीद को नहीं छिपाया गया है, उसके बावजूद भी बिना किसी आधार के केवल वैट—10ए के विशिष्ठ कॉलम में खरीद राशि के अन्तर मात्र से यह करारोपण कर दिया गया है जो तथ्यों के परीक्षण पर ही प्रमाणित हो जाता है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा दिनांक 24.11.2015 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिये गये जवाब को पुनः दोहराया गया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में सुनवाई का अवसर देने हेतु जो नोटिस जारी किया गया था उसके जवाब में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा समस्त बहियात, ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियां पेश करते हुए यह बता दिया गया था कि उनके द्वारा कुल रूपये 3.77 करोड़ का माल घोषणा पत्र 'सी' के जरिये खरीद किया गया है, वह समस्त माल उनकी बहियात में दर्ज किया हुआ है। इस कुल खरीद में से रूपये 56.17 लाख का माल केपिटल गुड्स के रूप में Fixed asset में दर्ज है एवं रूपये 5.17 लाख का माल Direct expenses में दर्ज है जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने स्वीकार कर लिया है। इसी तरह रूपये 21.21 लाख का पैकिंग मैटेरियल 'सी' फॉर्म से खरीद करना बताया, जो गलती से पैकिंग मैटेरियल के अकाउण्ट में दर्शाने से रह गया, बल्कि उसका समस्त इंद्राज बहियात एवं ऑडिट रिपोर्ट में किया जाना बताया गया। इसी तरह केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 6(2) के तहत रूपये 3.06 करोड़ का जो माल खरीद किया गया था उसमें से रूपये 1.08 करोड़ का माल स्टरलाइट इण्डस्ट्रीज इंदौर एवं रूपये 1.86 करोड़ का माल स्टरलाइट इण्डस्ट्रीज जयपुर से खरीद किया गया था परन्तु गलती से उनके द्वारा रूपये 1.86 करोड़ की खरीद खाते में बताने से रह गयी जबकि उस माल के 'सी' एवं 'ई' फॉर्म प्रस्तुत कर दिये गये थे एवं उस माल को बहियात में दर्ज होना भी बता दिया है तथा

लगातार.....3

कुल की गई खरीद रूपये 3.77 करोड़ का श्रेणीवार जवाब भी प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा रूपये 99.36 लाख के घोषणा पत्र 'एफ' से जॉब वर्क हेतु जो माल लिया गया था उसके वैट–47 भी जारी किये गये थे एवं उनके प्रत्येक के चालान भी जारी करना बता दिया गया था। इस सम्बन्ध में बहियात के अनुसार ट्रेडिंग अकाउण्ट भी प्रस्तुत कर दिया गया था ऐसी स्थिति में कोई भी माल बहियात से परे नहीं था बल्कि प्रत्येक खरीद बहियात में दर्ज थी, केवल लिपिकीय भूल से विवरण प्रपत्र वैट–10ए में किसी राशि को नहीं दर्शाने से वह राशि अलग से खरीद किया जाना बताना एवं उस माल से अन्य माल निर्मित कर विक्रय किया जाना बताना कर निर्धारण अधिकारी का अतार्किक एवं कल्पना के आधार पर किया गया करारोपण है जो पूर्णतया अनुचित एवं सुनवाई के अवसर के बाद दिये गये समस्त जवाब को बिना किसी आधार के नहीं मानते हुए केवलमात्र मांग सृजित करने की इच्छा प्रकट करता है।

7. अपीलीय अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में पूरा विवरण अंकित करते हुए विधिविरूद्ध सृजित मांग को अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है। यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश में यह बताया गया है कि यह माल उनके द्वारा 'सी' एवं 'ई' फॉर्म के जरिये खरीदा गया था जिसकी विगत उनके रिकॉर्ड पर उपलब्ध थी एवं उस माल को लेखा–पुस्तकों में इंद्राज किया गया था एवं उसी माल का आगे विक्रय किया जाना बताया गया था। यह भी टिप्पणी करने योग्य है कि यदि इस माल को इंद्राजित नहीं माना जाता है तो जो विक्रय प्रत्यर्थी द्वारा दर्शाया गया था उसका माल कहां से प्राप्त हुआ, उस बारे में उल्लेख नहीं है परन्तु जो माल विधिक रूप से घोषणा पत्र 'सी' एवं 'ई' से प्राप्त किया गया था उस माल का विक्रय व्यवहारी द्वारा भी कर दिया गया है जिसका समस्त इंद्राज बता दिया गया था, जिसका मिलान वक्त सुनवाई करवा दिया गया था। इस तरह केवल मात्र लिपिकीय भूल से विवरण पत्र के किसी कॉलम में इन्द्राज होने में त्रुटि होने से एवं उनका स्पष्टीकरण देने के बावजूद भी उस माल की राशि पर, अतिरिक्त बिक्री मानकर करारोपण कर दिया गया है जबकि 'सी' एवं 'ई' फॉर्म से विधिवत् खरीद किये गये उसी माल के विक्रय पर करारोपण किया गया है, इस तरह एक ही माल पर दोबारा करारोपण करना अनुचित एवं अविधिक है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा इसे अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य

17/05/18
(राजीव चौधरी)
सदस्य